

कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक गांधी

स्मारक चिकित्सालय रीवा म.प्र.

निविदा


2021-22


श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से संबद्ध संजय गांधी स्मृति/गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा एवं सुपरस्पेशिलिटी ब्लॉक में वाहन पार्किंग स्टैण्ड सुरक्षा हेतु ई-निविदा(प्रथम आमंत्रण)

निविदा क्र- 42/2021-22

कीमत रु. 5000/-

(पांच हजार मात्र)





ONLINE TENDER SCHEDULE

ई-निविदा क्र- 42/2021-22

SEQ NO	SCHEDULE	START DATE & TIME	EXPIRY DATE & TIME	ENVELOPES
1	PURCHASE OF TENDER ONLINE	28.01.2022 11.00 AM	10.02.2022 05.00 PM	
2	BID SUBMISSION ONLINE	28.01.2022 11.00 AM	10.02.2022 05.00 PM	
3	TECHNICAL PROPOSAL OPEN	12.02.2022 12.40 PM		
4	FINANCIAL BID OPEN	पृथक से सूचना दी जावेगी।	-	

ईमेल:-jdsupdtgmhrewa@rediffmail.com, Fax-07662-242104

संपर्क:-07662-242104, 9179705483, 9644695933, 9425471040,

9755665353(डॉ शुभम मिश्रा)

पोर्टल में ऑनलाईन अपलोड किए जाने वाले अनिवार्य दस्तावेजों की सूची-

1. धरोहर राशि रु; 100000.00(एक लाख रु मात्र) की ऑनलाईन जमा रसीद।
2. मूल निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर एवं सील सहित(ऑनलाईन क्रय किया हुआ)
3. फर्म/संस्था के रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति।
4. पैन कार्ड की छायाप्रति।
5. जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति।
6. वित्तीय वर्ष 2018-19, 19-20 का आयकर रिटर्न जमा करने की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति।(असेसमेंट ईअर 2019-20 एवं 2020-21)
7. वार्षिक टर्नओवर संबंधी सी.ए. द्वारा जारी प्रमाण पत्र(10.00 लाख वार्षिक से कम नहीं होना चाहिए वित्तीय वर्ष 2019-20)
8. 100 रु; के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित नोटराइज्ड घोषणा पत्र।
9. निविदाकार को निविदा फार्म के साथ पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी मूल चरित्र प्रमाण पत्र(24.08.2021 के बाद जारी किया गया हो)

श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से संबद्ध संजय गांधी स्मृति/गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा एवं सुपरस्पेशलिटी ब्लॉक में वाहन पार्किंग स्टैंड सुरक्षा हेतु ई-निविदा के नियम एवं शर्तें

1. संजय गांधी स्मृति/गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा एवं सुपरस्पेशलिटी ब्लॉक में वाहन पार्किंग स्टैंड सुरक्षा व्यवस्था हेतु ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र वेबसाइट <https://mptenders.gov.in/> पर आनलाईन भुगतान कर क्रय किए जा सकेंगे। इसे चिकित्सा महाविद्यालय रीवा की वेबसाइट <http://www.ssmcrewa.com> में भी देखा जा सकेगा।
2. ऑनलाईन निविदा जमा करने की निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त निविदाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी। निविदा फार्म की राशि रु. 5000.00 है यह किसी भी दशा में वापसी योग्य नहीं है। अमानत राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं है।
3. एच-1 निविदाकार को अनुबंध के समय अनुमानित कार्य की 10 प्रतिशत राशि का डीडी पृथक से परफॉर्मेंस गारंटी के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा।
4. प्राइस बिड केवल ऑनलाईन एवं भारतीय मुद्रा में ही स्वीकार योग्य होगी।
5. प्राइस बिड भरने के पूर्व समस्त दस्तावेज एवं स्पेशिफिकेशन ध्यानपूर्वक पढ़ एवं समझने के पश्चात ही निविदा भरें।
6. निविदाकार को निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर एवं सील लगाना अनिवार्य होगा।
7. चिकित्सालय की क्रय समिति को किसी भी अथवा समस्त निविदाकारों की निविदा बिना कारण बताए अमान्य/निरस्त करने का अधिकार होगा।
8. सामान्यतः अधिकतम मूल्य दर की निविदा स्वीकार की जावेगी, तथापि क्रय समिति शासन/जनहित में समग्र रूप से विचार करते हुए अन्यथा निर्णय लेने हेतु अधिकार संपन्न होगी।
9. निविदाकार को निविदा फार्म के साथ पुलिस अधीक्षक द्वारा दिनांक 24.08.2021 के बाद का जारी चरित्र प्रमाण पत्र की मूल प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
10. वाहन स्टैंड संजय गांधी स्मारक चिकित्सालय एवं गांधी स्मारक चिकित्सालय एवं सुपरस्पेशलिटी ब्लॉक रीवा में निम्नानुसार स्थानों पर ही

लगाय जाएगा। 1. नवीन बाह्यरोगी भवन 2. संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय मुख्य भवन द्वार के सामने 3. आकस्मिक चिकित्सा विभाग के सामने चिन्हित स्थलों पर 4. गांधी स्मारक चिकित्सालय के मुख्य भवन द्वार के सामने। 5. सुपरस्पेशलिटी चिकित्सालय में अधीक्षक सुपरस्पेशलिटी के द्वारा बताए स्थान पर। इन स्थानों के अलावा अन्य किसी भी स्थान पर सक्षम अधिकारी की स्वीकृति एवं निर्देशानुसार ही वाहन स्टैण्ड लगाया जा सकता है।




11. चिकित्सालय परिसर में प्रत्येक पार्किंग स्थल पर वाहन चालकों को हैण्डहेल्ड मशीन से कंप्यूटर जनित पर्ची जिसमें ठेकेदार का नाम, दिनांक, वाहन क्रमांक दर्ज हो देनी होगी, जिसका शुल्क वाहन के जाते समय निर्गम स्थान पर समयानुसार देय होगा। कम्प्यूटराईज्ड पर्ची देना अनिवार्य होगा। कम्प्यूटराईज्ड पर्ची हेतु निविदाका को कम से कम 06 नग हैण्डहेल्ड टिकटिंग मशीन अनुबंध के पूर्व संचालित कर कार्यालय में दिखाना अनिवार्य होगा।

12. निविदाकार वाहन स्टैण्ड का ठेका अन्य किसी भी व्यक्ति को नहीं दे सकेंगे तथा अपने कार्यकर्ताओं की इयूटी एवं नाम फोटोमय परिचय पत्र की सूची आवश्यक रूप से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में देना अनिवार्य होगा। कार्य पर लगाए गए कर्मचारियों को कार्य के समय निर्धारित पोषाक मय परिचय पत्र धारण करना होगा जिसकी सूचना (ड्रेस की सूचना) इस कार्यालय को देनी होगी। लगाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज न हो तथा किसी न्यायालय में प्रकरण लंबित न हो। यदि बाद में ऐसा पाया जाता है तो निविदाकार इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होगा।

13. स्टैण्ड के सामने निर्धारित दर सूची को बड़े अक्षरों में प्रबंधन द्वारा निर्धारित स्थल पर 4x3 फुट के आकार के बोर्ड में जिसकी उंचाई लगभग 6 फुट होगी में लिखकर टांगना अनिवार्य होगा।

14. वाहन स्टैण्ड 24 घंटे खुला रहेगा। रखे हुए वाहनों में से यदि कोई वाहन 24 घंटे से अधिक समय तक नहीं उठाया जाता है, तो उसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय एवं पुलिस स्टेशन में देना आवश्यक होगा।

15. वाहन स्टैण्ड की दिन प्रतिदिन की निगरानी एवं देखरेख संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, गांधी स्मारक चिकित्सालय/अधीक्षक सुपरस्पेशलिटी ब्लॉक अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी (वाहन प्रभारी/इयूटीरत आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी) द्वारा की जावेगी। निविदाकार को उनके द्वारा दिए गए निर्देश का

पालन करना अनिवार्य होगा। संबंधित अधिकारी द्वारा आकस्मिक रूप से वाहन स्टैण्ड का निरीक्षण किया जावेगा व निरीक्षण उपरांत रिपोर्ट अधीक्षक जी.एम.एच. रीवा को दी जावेगी।

16. चिकित्सालय, चिकित्सा महाविद्यालय के कर्मचारियों, चिकित्सकों, पोस्टमैनो एवं बाहर से डाक लाए कर्मचारियों, कोरियर बॉय एवं पुलिसकर्मी जो भर्ती रोगियों के साथ होंगे उनके द्वारा रखे जाने वाले वाहनों आदि से किराया नहीं लिया जावेगा। चिकित्सालय के लिए दवाई/सामग्री/ऑक्सीजन लाने वाले वाहनों से शुल्क नहीं लिया जावेगा।

17. निविदाकार से चिकित्सालय के कर्मचारी या जनता के बीच किसी भी प्रकार वाद विवाद होता है तो अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

18. सफल निविदाकार को स्वीकृत निविदा राशि 12 मासिक किश्तों में जमा करना होगा। प्रथम मासिक किश्त की राशि ठेका प्रारंभ करने के पूर्व अग्रिम राशि के रूप में अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के कार्यालय में जमा करना होगा, उसके पश्चात ही ठेका प्रारंभ किया जा सकेगा। आगामी मासिक किश्तों की अग्रिम राशि प्रत्येक माह की 10 तारीख के पूर्व अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के कार्यालय में जमा करना होगा। जिसकी सूचना संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक कार्यालय में देना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि तक किस्त जमा न करने की स्थिति में प्रतिदिन 2000.00 रु विलंब शुल्क अधिरोपित किया जावेगा। इसके बावजूद भी 01 माह तक निर्धारित राशि जमा न करने पर निविदा निरस्त कर अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी।

19. वाहन स्टैण्ड के लिए किराए की दर निम्नवत निर्धारित की जाती है:-

- वाहन स्टैण्ड की निर्धारित दरें जी.एस.टी सहित(रु में)

क्र	वाहन	24 घंटे का शुल्क	दो दिन का शुल्क	तीन दिन का शुल्क	पांच दिन का शुल्क
2.		3.	4.		
1.	सायकल	निःशुल्क	निःशुल्क	निःशुल्क	निःशुल्क
2.	दू व्हीलर पार्किंग	10/-	20/-	30/-	50/-
3.	थ्री/फोर व्हीलर पार्किंग	20/-	40/-	60/-	100/-

नोट:-



1. अस्पताल के अधिकारियों/कर्मचारियों/चिकित्सा छात्रों एवं आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए निःशुल्क टोकन जारी करना होगा।
 2. मालवाहक वाहन की किसी भी सूरत में अनुमति नहीं होगी।
 3. यदि 24 घंटे से अधिक मरीज/परिजन के वाहन पार्किंग में खड़े होते हैं तो उन्हें मरीज के भर्ती होने का प्रमाण पार्किंग ठेकेदार को उपलब्ध कराना होगा।
20. बाह्यरोगी विभाग/आकस्मिक चिकित्सा विभाग तक मरीजों को लाने वाले (DROP OFF)(वाहनों से किराया नहीं लिया जावेगा। जो वाहन पार्किंग स्टैण्ड पर खड़े होंगे केवल उन्हीं से किराया लिया जावेगा।
21. वाहन स्टैण्ड में रखी जाने वाली दोपहिया, तीन पहिया एवं चार पहिया वाहनों के सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी निविदाकार की होगी तथा चिकित्सक स्टाफ एवं चिकित्सालय में कार्यरत अन्य कर्मचारियों के वाहनों की सुरक्षा की भी पूर्ण जिम्मेदारी निविदाकार की होगी। इसके लिए निविदाकार को टोकन पास भी जारी करना अनिवार्य होगा। टोकन पास में निविदाकार का नाम, टोकन नंबर, वाहन क्रमांक, राशि, दिनांक एवं समय अंकित होना आवश्यक होगा। वाहन स्टैण्ड में वाहन रखा हुआ रहता है एवं वाहन मालिक के पास टोकन रहने की स्थिति में चोरी होने पर निविदाकार द्वारा वाहन मालिक को वाहन की कीमत देना अनिवार्य होगा इसके लिए कार्यालय किसी भी प्रकार उत्तरदायी नहीं होगा। वाहन मालिक वाहन चोरी/क्षति होने पर ठेकेदार के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराने एवं अन्य वैधानिक कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होंगे।
22. चिकित्सालय के प्रत्येक वाहन स्टैण्ड में रेट सूची के साथ मोटे एवं बड़े अक्षरों में (पर्याप्त उंचाई 6 फुट) जिस पर दिनांक एवं समय अंकित हो आवश्यक रूप से लगानी होगी। निर्धारित दर से अधिक राशि की वसूली की शिकायत प्राप्त होने पर सत्य पाए जाने पर ठेकेदार पर प्रथमतः 10000.00 एवं दूसरी बार प्राप्त होने पर 15000.00 का जुर्माना एवं तीसरी शिकायत प्राप्त होने पर ठेका निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी। इस संदर्भ में अंतिम निर्णय अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा का मान्य होगा।








23. निविदाकार को निविदा के साथ श्रम विभाग में पंजीकृत होने का प्रमाणपत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। सफल निविदाकार को ठेका अवधि में श्रम नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
24. यदि ठेकेदार द्वारा मासिक किराए की दर पर ऐसे वाहन कार एवं आटो खडे किए जाते हैं जिनके कोई परिजन अस्पताल में भर्ती नहीं रहते, ऐसी स्थिति पाए जाने पर सेवा में कमी मानते हुए अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा राशि रू 20,000.00 तक जुर्माना लगाया जा सकेगा।
25. कार्य संतोषजनक न पाए जाने पर ठेका निरस्त किया जा सकेगा।
26. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व निविदाकार को राशि रू. 1000.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर अनुबंध निष्पादन करना अनिवार्य होगा।
27. निविदा अवधित समाप्त होने के बाद जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक निविदाकार को पूर्व नियम एवं शर्तों एवं उसी दर पर निविदा कार्य संचालित करना अनिवार्य होगा इसके लिए निविदाकार बाध्य होगा।
27. निविदाकार द्वारा लगाए गए कर्मचारियों की किसी भी प्रकार की क्षति, दुर्घटना आदि के लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा और न ही किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति दी जावेगी। इसकी पूर्ण जिम्मेदारी निविदाकार की होगी।
28. वाहन पार्किंग में निविदाकार के संलग्न कर्मचारी किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार नहीं करेंगे, नशे का सेवन नहीं करेंगे, यदि करते हुए पाए जाते हैं, तो संबंधित कर्मचारी एवं निविदाकार स्वयं वैधानिक कार्यवाही के भागी होंगे एवं राशि रू 15000.00 तक का जुर्माना निविदाकार को किया जा सकेगा।
29. वाहन सुरक्षा व्यवस्था के ठेके की वार्षिक राशि न्यूनतम रू 25.00 लाख+18 प्रतिशत जी.एस.टी.(रू. 4.50 लाख अतिरिक्त) होगी। इससे कम राशि की निविदा स्वीकार नहीं होगी।
30. मेसर्स महामृत्युंजय ग्रुप आफ एजेंसी रीवा के द्वारा अनुबंध की शर्तों का पालन न करने एवं किस्त की राशि न जमा करने के कारण एवं अवैध गतिविधियों में संलिप्तता होने कारण काली सूची में डाला गया है इस कारण निविदा में भाग नहीं ले सकते।



31. परिसर में निजी एम्बुलेंसों के पार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है। बाहर से आने वाले अशासकीय/निजी एम्बुलेंसों से निविदाकार निर्धारित वाहन शुल्क ले सकेगा। परिसर में मरीजों को लाने ले जाने के अतिरिक्त कोई भी अशासकीय/निजी एम्बुलेंस खड़े नहीं होंगे इसकी जिम्मेदारी निविदाकार की होगी।
32. चिकित्सालय में आने वाले 108 एंव जननी सुरक्षा वाहनों से शुल्क नहीं लिया जावेगा।
33. निविदा सामान्यतः 01 वर्ष अथवा नई निविदा प्रभावी होने तक लागू रहेगी।
34. निविदाकार की कोई भी शर्त स्वीकार नहीं की जावेगी।
35. इच्छुक निविदाकार निविदा प्रस्तुत करने के पूर्व चिकित्सालय के वाहन स्थलों का निरीक्षण भी कर सकते हैं।
36. निविदा अनुमोदित होने पर कार्य में हीला हवाली या टाल मटोल करके विलम्ब किया जाता है, तो धरोहर राशि राजसात कर भविष्य में निविदा भरने से वंचित कर दिया जावेगा।
37. निविदाकार को निर्धारित वाहन स्टेण्ड स्थल की साफ सफाई, पेयजल एंव अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं स्वयं करनी होगी।
38. निविदाकार को चिकित्सकों एंव स्टाफ के लिए पृथक से स्थान सुरक्षित रखना होगा। उसमें अन्य के वाहन खड़े नहीं होंगे।
39. आने-जाने वाले रास्ते एवं मुख्य द्वार पर कोई वाहन नहीं खड़े हों, इसकी जिम्मेदारी निविदाकार की होगी।
40. संपूर्ण पार्किंग स्थल को सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से निगरानी हेतु कवर करने के लिए निविदाकार द्वारा स्वयं के व्यय पर कैमरे लगाने होंगे जो अधीक्षक या उनके द्वारा नामित व्यक्ति के निगरानी/सहमति पर स्थल चिन्हित कर लगाए जावेंगे। जिसका सर्वर केंद्रीय कंसोल नियंत्रण कक्ष में स्थापित होगा व अधीक्षक व प्रभारी पार्किंग के मोबाईल पर निगरानी हो सके इसकी व्यवस्था करनी होगी।
41. अनुबंध की शर्तों का पालन न करने वाले निविदाकार को आगामी तीन सालों तक के लिए काली सूची में डाला जा सकेगा।


37. निविदा के संबंध में न्यायिक विवाद रीवा स्थित न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होगा।


28/01/22
संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक,

गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा म.प्र.







तकनीकी बिड हेतु प्रपत्र

स.क्र	तकनीकी मापदण्ड हेतु अनिवार्य दस्तावेज	निविदाकर के द्वारा टिक किया जावे	परीक्षण समिति द्वारा टिक किया जावे
1.	धरोहर राशि रू; 100000.00 की ऑनलाईन जमा रसीद।		
2.	मूल निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर एवं सील सहित(ऑनलाईन क्रय किया हुआ)		
3.	फर्म/संस्था का रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति।		
4.	पैन कार्ड की छायाप्रति।		
5.	जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति।		
6.	वित्तीय वर्ष 2018-19, 19-20 का आयकर रिटर्न जमा करने की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति।(एसेसमेंट एअर 19-20 एव 20-21)		
7.	वार्षिक टर्नओवहर संबंधी सी.ए. द्वारा जारी प्रमाण पत्र(10.00 लाख वार्षिक से कम नहीं होना चाहिए वित्तीय वर्ष 2019-20)		
8.	100 रू; के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित नोटराइज्ड घोषणा पत्र।		
9.	निविदाकार को निविदा फार्म के साथ पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी मूल चरित्र प्रमाण पत्र(24.08.2021 के बाद जारी किया गया हो)		

नोट:- कृपया निर्धारित क्रम में ही दस्तावेज संलग्न करें। मांगे गए दस्तावेजों के अतिरिक्त अन्य दस्तावेज न लगाए जावें।

निविदाकर्ता संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर.....

निविदाकर्ता संस्था प्रमुख का नाम.....

संस्था का नाम एवं पूर्ण पता सील सहित.....

(स्पष्ट अक्षरों में)

घोषणा पत्र(शपथ पत्र)

(100.00/-रु के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर प्रस्तुत करें।

1. मैं/हम भारत का/के नागरिक हूँ/हैं।
2. मैं/हम भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार निविदा कार्य के लिए सक्षम हूँ/हैं।
3. मुझे/हमें मध्यप्रदेश शासन के किसी भी विभाग द्वारा निविदाकार्य से बहिष्कृत नहीं किया गया है।
4. मैं/हम किसी भी एंसे कॉन्ट्रैक्टर जो कि म.प्र.शासन किसी भी विभाग द्वारा बहिष्कृत किया गया हो, न तो अभिकर्ता हूँ और न ही उसके लिए कार्य करता हूँ/करते हैं।
5. मेरे हमारे द्वारा निविदा की शर्तों के अलावा अन्य कोई शर्त प्रस्तुत नहीं की गई है। यदि अन्य कोई शर्त प्रस्तुत की जाती है तो उसे अमान्य कर दिया जावे।
6. मेरा/हमारा श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय/जी.एम.एच./एस.जी.एम.एच. रीवा के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं है।
7. मेरे/हमारे विरुद्ध राज्य/केंद्र सरकार को देय किसी भी प्रकार का कर बकाया नहीं है।
8. मेरे/हमारी संस्था के विरुद्ध न तो एफ.आई.आर. दर्ज है और न ही किसी सक्षम न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है और न ही सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है।
9. मेरे द्वारा प्रस्तुत जानकारी सही है, असत्य पाए जाने पर मेरे विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी रहूंगा।

गवाह का नाम.....निविदाकर्ता संस्था प्रमुख के

१.....हस्ताक्षर.....

२.....निविदाकर्ता संस्था प्रमुख का नाम.....

संस्था का नाम एवं पूर्ण पता सील सहित.....

(स्पष्ट अक्षरों में)

७

↓

प्राइस बिड केवल ऑनलाईन भरी जावे।

गांधी स्मारक चिकित्सालय, संजय गांधी स्मृति एवं
सुपरस्पेशिलिटी ब्लॉक में वाहन पार्किंग व्यवस्था हेतु
दर सूची

दर सूची में/हम(फर्म)..... गांधी स्मारक
चिकित्सालय, संजय गांधी स्मृति एवं सुपरस्पेशिलिटी ब्लॉक में वाहन पार्किंग
व्यवस्था हेतु नीचे अंकित दर से ठेके का कार्य लेना चाहता हूँ।

वार्षिक राशि रु..... अंकों में
वार्षिक राशि रु..... शब्दों में
(प्राइस बिड केवल ऑनलाईन ही स्वीकार की जायेगी।(रिजर्व प्राइस 25.00
लाख(पच्चीस लाख)+18 प्रतिशत जी.एस.टी.(रु. 4.50 लाख) अतिरिक्त)

निविदाकर्ता संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर.....

निविदाकर्ता संस्था प्रमुख का नाम.....

संस्था का नाम एवं पूर्ण पता सील सहित.....

(स्पष्ट अक्षरों में)